प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, बून्दी थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :– 2022
प्र0सू0रि0 सं ......338/2022...... दिनांक......30/8/2022......
2. (1) अधिनियम ....धाराऐं....**13(1)(डी),13(2) पी.सी. एक्ट 1988**......
(2) अन्य अधिनियम एवं ....धाराऐं ....120बी. भा.द.सं. ....
3. (क) घटना का दिन :– **वर्ष 2015 से 2020**
(ख) थाने/चौकी पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– 16.07.2021 समय :– –
(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या ....551.. समय........6.00 P.M.........
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) **लिखित**
5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
(क) चौकी से दिशा एवं दूरी – **उत्तर–पश्चिम एवं 1 किलोमीटर**
बीट संख्या...जुरामदेही सं...
(ख) पताः– **नगर परिषद बूंदी, जिला बूंदी, राजस्थान।**
(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम..............
6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
1. (क) नाम :– **श्री अशोक डोगरा**
(ख) पिता का नाम :– **श्री रामप्रकाश**
(ग) जन्म तिथि/उम्र :– **69 साल**
(घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
(ड़) पासपोर्ट संख्या.......................जारी करने की तिथि.............................जारी करने का स्थान
(च) व्यवसाय – विधायक राजस्थान सरकार, बूंदी विधानसभा।
(छ) पता :– **न्यू कॉलोनी, बूंदी, थाना कोतवाली जिला बूंदी।**
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–
(1) श्री महावीर मोदी, तत्कालीन सभापति, नगर परिषद बूंदी।
(2) श्री दीपक नागर, तत्कालीन आयुक्त, नगर परिषद बूंदी।
(3) श्री पंकज मंगल, तत्कालीन आयुक्त, नगर परिषद बूंदी।
(4) श्री अरूणेश शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता अति. प्रभार आयुक्त नगर परिषद बूंदी।
(5) श्री जोधराज मीणा तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता नगर परिषद बूंदी।
(6) श्री विनोद कुमार शर्मा, कनिष्ठ सहायक अति. चार्ज कनिष्ठ लेखाकार नगर परिषद बूंदी।
(7) श्री प्रेमशंकर शर्मा अधीक्षण अभियन्ता।
(8) श्री बृजमोहन सिंघल अधिशाषी अभियन्ता।
(9) श्री मुकेश परमार, कनिष्ठ लिपिक, नगर परिषद बूंदी हाल न0पा0 के0पाटन, जिला बूंदी।
(10) श्री जितेन्द्र मीणा फायरमैन (लिपिकीय कार्य) नगर परिषद बूंदी।
(11) सम्बंधित फर्मो के संवेदकगण एवं नगर परिषद बून्दी के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण
8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्यः – ....
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो)..
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

वाक्यात मामला इस प्रकार है कि परिवादी श्री अशोक डोगरा, विधायक राजस्थान सरकार ने शिकायत इस आशय की पेश की, कि – राज्य सरकार द्वारा बूंदी शहर के विकास कार्यो के लिये करोडो रूपये नगर परिषद बूंदी को आवंटित करने पर तत्कालीन सभापति व अधिकारियों द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये विकास कार्यो के लिये आई राशि को भ्रष्टाचार की भेंट चढा दिया तथा स्वायत्त शासन सचिव विभाग द्वारा तत्कालीन सभापति व अन्य अधिकारियों को दोषी माना है। परिवादी द्वारा शिकायत के सलंग्न श्री महावीर मोदी, तत्कालीन सभापति, नगर परिषद बूंदी के विरूद्ध आरोपों की प्रति भी पेश की गई। इस पर ब्यूरो द्वारा परिवाद संख्या 25/2022 पंजीबद्ध कर सत्यापन किया गया। परिवाद सत्यापन से आरोप प्रमाणित होने पर ब्यूरो मुख्यालय के आदेशांक 3203–05 दिनांक 05.04.2022 से प्राथमिक जांच दर्ज करने

का निर्णय लिया जाने पर प्राथमिक जांच पी. 1–2, 03/22 दिनांक 28.04.2022 पंजीबद्ध कर जांच मन् ताराचन्द पुलिस निरीक्षक द्वारा की गई।

प्राथमिक जांच के कम में नगर परिषद बून्दी में सीसी रोड़ निर्माण कार्य टी पॉइन्ट से एक खम्भे की छतरी तक का कार्यादेश कुल 120.54 लाख रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, निविदा संख्या 4334 दिनांक 12.09.2017 को चार प्रतिशत कम दर पर कार्यादेश देने पर 29 लाख का नुकसान होने, Gem Portal पर कचरा पात्र क्रय करने के लिए उच्च दर वाली फर्म को कार्यादेश, घर–घर कचरा संग्रहण कार्य हेतु जारी निविदा में शर्तो में परिवर्तन करते हुये बिना तकनीकी परीक्षण, वार्षिक टर्नओवर 15 लाख से 16 लाख करने, ऑडिट रिपोर्ट तीन वर्ष पॉच वर्ष पर करने, पुनः निविदा में निविदा के प्रतिभागियों को वंचित रखने, उच्च दर पर ऑटोटीपर कार्यादेश जारी करना, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर से प्राप्त किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग जयपुर स्तर से की गई जांच बाबत जांच रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी श्री अशोक डोगरा के बयान बयान लेखबद्ध किये गये। आरोपी श्री महावीर मोदी तत्का0 सभापति व तत्कालीन सहायक अभियन्ता श्री अरूणेश शर्मा को तलब किया जाकर बयान स्पष्टीकरण लिया गया है।

श्री महावीर मोदी वर्ष 2015 से 2020 तक सभापति नगर परिषद बूंदी के पद पर पदस्थापित रहा था। उपरोक्त अवधि में नगर परिषद बूंदी द्वारा करवाये गये विकास कार्यो में भ्रष्टाचार के सम्बंध में की गई जांच से वस्तु स्थिति निम्न प्रकार पाई गई है:–

अमृत योजना के अन्तर्गत बून्दी शहर में सीवर लाईन डालने का कार्य कार्यकारी संस्था नगर परिषद् बून्दी द्वारा करवाया जा रहा है। उक्त कार्य टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा संपादित करवाया जा रहा है। उक्त कार्य के सुपरविजन का कार्य संबंधित विभाग द्वारा पीएमसी मैसर्स शाह कन्सल्टेंट को दिया हुआ है। कार्यकारी एंजेसी द्वारा किये गये कार्य को सत्यापित करने की जिम्मेदारी सुपरविजन कन्सल्टेंट की है। श्रीमान जिला कलेक्टर बून्दी को शिकायत करने पर तत्समय आदेशानुसार भौतिक निरीक्षण तथा गुणवत्ता परीक्षण हेतु गठित समिति एवं विभागीय सहायक अभियंता सहित कार्यो का निरीक्षण किया गया तथा किये गये डामरीकरण तथा सीमेंट कंक्रीट कार्य के सेम्पल लिये जाकर सर्वे एवं गुण नियंत्रण खण्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग की प्रयोगशाला में टेस्ट किये गये। अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग बूंदी द्वारा पत्रांक 620 दिनांक 12.03.2018 से श्रीमान जिला कलक्टर बूंदी को प्रेंषित भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार बून्दी शहर के 9 जोन में कुल मिलाकर 150.51 कि.मी. लम्बाई में सीवर लाईन का कार्य चालू है जिसमें से अब तक 71.24 किमी लम्बाई में सीवर कार्य किया गया है। रेस्टोरेशन का कार्य भी पूर्ण नही हुआ है तथा डामर थिकनेस भी निर्धारित मापदण्ड से कम पाई गई है। सीसी द्वारा किये गये रेस्टोरेशन कार्य के उपरांत यह तथ्य सामने आया है कि 4 जोन में सीसी के कोर ही नही काटे गये है। कार्य अत्यधिक निम्न स्तर का पाया गया है। जिन सीसी कार्यो का परीक्षण किया गया है, उनमें से 9 स्थानों पर सीसी कार्य की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन्थ निर्धारित मापदण्ड से कम पाई गई है। जांच समिति द्वारा अपनी जांच में यह भी बताया गया है कि मिटटी एवं जी. एस.बी. के कार्य रोड रोलर से कुटाई व ड्रेसिंग नही कराई गई है तथा कई स्थानों पर पिटस को खुला छोड रखा है जिससे गम्भीर दुर्घटना होने की सम्भावना बनी हुई है। शहर में जलदाय विभाग द्वारा पाईप लाईन डालने का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है। 169 किमी पाईप लाईन डाली जानी है, जिसमें से 40 किलोमीटर लाईन डाली जा चुकी है। नगर परिषद बूंदी में 1 करोड रूपया जलदाय विभाग द्वारा रोड रिपेयर करने के लिये जमा भी करा दिये गये है किन्तु अब तक भी पाईप लाईन एवं रेस्टोरेशन का कार्य प्रारम्भ नही किया गया है। इस प्रकार तत्कालीन सभापति द्वारा नगर परिषद् के अधिकारियों के साथ मिलकर संवेदक को लाभान्वित करने के आपराधिक आशय के साथ उपरोक्त कार्य में रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण नहीं करवाना, डामर थीकनेस निर्धारित मापदण्ड से कम होना, सीसी कोर नही काटना, सीसी कार्य की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन्थ निर्धारित मापदण्ड से कम होना, मिटटी एवं जी.एस.बी. के कार्य रोड रोलर से कुटाई व ड्रेसिंग नही करवाना तथा कई स्थानों पर पिटस को खुला छोडने आदि कमियां छोड कर घटिया कार्य करवाया गया। तत्कालीन सभापति श्री महावीर मोदी व नगर परिषद बूंदी के अधिकारियो द्वारा संवेदक से मिलीभगत करके सिवरेज लाईन का घटिया कार्य किया गया, इस मामले में विस्तृत अनुसंधान की आवश्यकता है।

नगर परिषद बून्दी द्वारा सीसी रोड निर्माण कार्य टी–पॉईन्ट से एक खम्भे की छतरी तक के लिये नोटसीट चलाकर 120.54 लाख रू के लिये प्रशासनिक एक वित्तीय स्वीकृति तथा सक्षम

तकनीकी स्वीकृति हेतु पत्रावली कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत की गई जिसकी पुष्टि नोटसीट से हो रही है। जिसमें बाउम्मीद बोर्ड प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सभापति द्वारा दी गई। किन्तु संयुक्त सचिव महोदय स्वायत्व शासन विभाग राजस्थान जयपुर के नोटिफिकेशन क्रमांक F.8(G)(rules)/DBL/2015/4081 दिनांक 23.02.2015 के अनुसार आयुक्त की वित्तीय शक्तियो 2 लाख रूपये एवं सभापति को 50 लाख रूपये तक की है। लेकिन सभापति द्वारा बाउम्मीद बोर्ड प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई थी, जिसे सभापति द्वारा बोर्ड में प्रस्ताव लेकर स्वीकृति पारित करनी चाहिऐं थी परन्तु बोर्ड में प्रस्ताव नही लिया गया एवं बोर्ड की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नही ली गई है। उक्त कार्य के लिये दिनांक 08.05.2017 को आमंत्रित निविदा में पांच निविदा दाताओं ने भाग लिया। उक्त सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु न्यूनतम दर 28.11 प्रतिशत कम मैसर्स उत्सव कन्सट्रक्शन की प्राप्त होना मानकर सभापति व आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली में कार्यादेश की प्रति सलंग्न नही है तथा संवेदक को कार्य की स्वीकृति की सूचना जरिये दूरभाष देकर स्टाम्प पेश करने के लिये सूचित किया गया, किन्तु संवेदक अनुबंध हेतु प्रस्तुत नही हुआ तथा प्रार्थना पत्र पेश कर दर जीएसटी लागु होने से बढने के कारण कार्य करने में असमर्थता व्यक्त कर दी। जिस पर नगर परिषद द्वारा धरोहर राशि जप्त कर कार्य को निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार उक्त सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु न्यूनतम दर 28.11 प्रतिशत कम, मैसर्स उत्सव कन्सट्रक्शन को बिना कार्यादेश जारी करे संवदेक की 2 प्रतिशत राशि जब्त कर कार्य निरस्त किया गया। जबकि नगर परिषद के पास द्वितीय न्यूनतम दर 15.88 प्रतिशत कम वाले संवेदक ए एस कन्स्ट्रशन को आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 69 के अनुसार प्रतिप्रस्ताव देने के पर्याप्त विकल्प उपलब्ध थे। इस प्रकार उचित प्रक्रिया नही अपनाकर द्वितीय न्यूनतम दर दाता की प्रतिप्रस्ताव नही दिया गया। श्री महावीर मोदी तत्कालीन सभापति नगर परिषद बूंदी द्वारा प्रथम बार निविदा संख्या 692 दिनांक 08.05.2017 द्वारा उक्त सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु न्यूनतक दर 28.11 प्रतिशत कम, मैसर्स उत्सव कन्सट्रक्शन को बिना कार्यादेश जारी करे संवदेक की 2 प्रतिशत राशि जब्त कर कार्य निरस्त किया गया। जबकि प्रतिप्रस्ताव देने के पर्याप्त विकल्प होने के बावजूद उचित प्रक्रिया नही अपनाना एवं द्वितीय न्यूनतम दर दाता को प्रतिप्रस्ताव नही देकर सभापति द्वारा परिषद को हानि कारित करने के आशय से फर्म विशेष को पुनः कार्यादेश देने एवं लाभ पहुँचाने के लिये अपने पद का दुरूपयोग किया गया है। उक्त कार्य के लिये फर्म विशेष को लाभान्वित करने के लिये पुनः निविदा संख्या 4334 दिनांक 12.09.2017 के अन्तर्गत 4 प्रतिशत कम दर पर कार्यादेश क्रमांक 5804–06 दिनांक 21.11.2017 ए एण्ड जी एन्टरप्राईजेज को जारी किया गया। प्रथम बार निविदा संख्या 692 दिनांक 08.05.2017 में प्रथम न्यूनतम दर दाता (न्यूनतम दर 28.11 कम, मै. उत्सव कन्सट्रक्शान) को विधिवत कार्यादेश नहीं देने के कारण नगर परिषद बून्दी को लगभग 29 लाख रूपये की आर्थिक हानि पहुचाई गयी है। इस प्रकार सभापति एवं आयुक्त द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये अपनी वित्तीय शक्तियां 50 लाख रू से बाहर जाकर बिना प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के निविदा जारी की तथा उचित प्रकिया नही अपनाते हुये द्वितीय न्यूनतम दर वाले संवेदक को आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 69 के अनुसार प्रतिप्रस्ताव देने के पर्याप्त विकल्प नही देकर पुनः निविदा जारी करके उच्च दर वाले संवेदक को कार्यादेश जारी करते हुये नगर परिषद को हानि पहुँचाई। उक्त कार्य के पेटे संवेदक को 7088899 रूपये का भुगतान करने का नोटसीट पर उल्लेख है जो कि सभापति की वित्तीय शक्तियों से ज्यादा है। संवेदक को भुगतान राशि 7088899 रूपये के अलावा शेष राशि 4965101 रूपये का नोटसीट/अन्य दस्तावेज पर कोई उल्लेख नही है। सीसी रोड निर्माण कार्य टी–पॉईन्ट से एक खम्भे की छतरी तक के लिये सभापति द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये अपनी वित्तीय शक्तियां 50 लाख रू से बाहर जाकर बिना प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के कार्यादेश जारी किया गया। उक्त कार्यादेश में सभापति द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अधिक बजट खर्च करके अपने पद का दुरूपयोग किया गया है। इसके लिये श्री महावीर मोदी तत्कालीन सभापति, श्री दीपक नागर तत्कालीन आयुक्त, श्री अरूणेश शर्मा सहायक अभियन्ता व श्री जोधराज मीणा कनिष्ठ अभियन्ता, श्री विनोद कुमार शर्मा, कनिष्ठ सहायक अति. चार्ज कनिष्ठ लेखाकार, श्री बृजमोहन सिंघल अधिशाषी अभियन्ता व श्री प्रेमशंकर शर्मा अधीक्षण अभियन्ता दोषी है।

नगर परिषद बूंदी द्वारा कचरा पात्र कय किये गये जो दर में अधिक एवं गुणवत्ताहीन श्रेणी के थे। दस्तावेजी रिकार्ड से स्पष्ट है कि कचरा पात्र GeM (government e marketplace) से कय किये गये है जो केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत पोर्टल है। जीएफआर 2017 के नियम 149

के अनुसार इस पोर्टल पर यदि खरीद की राशि 50000 रू से अधिक एवं 30 लाख रू से कम है तो कम से कम 3 विक्रयकर्ताओं से प्राप्त दरो की तुलना के पश्चात न्यूनतम दर पर खरीद की जानी चाहिऐं। सामग्री क्रय किये जाने से पूर्व ली जाने वाली मात्रा की सूचना एवं स्पेसिफिकेशन पोर्टल पर लोड की जानी चाहिऐं एवं समस्त प्राप्त/उपलब्ध प्रस्तावों का तुलनात्मक अध्ययन करके न्यूनतम दर पर सामग्री क्रय की जानी चाहिऐं। नगर परिषद बूंदी द्वारा विक्रयकर्ताओं से प्राप्त दरो की तुलनात्मक स्थिति स्पष्ट नही करते हुये Gem Portal पर Harshita Enterprises Reseller की दर 7700/– रूपये तथा JSK Group Resellers की दर 15030/– ऑल इण्डिया डिलेवरी लोकेशन की प्राप्त हुई है। समान Product की दरों के अनुसार नगर परिषद बून्दी द्वारा 15030/– के हिसाब से 40 Dustbin के क्रय पर 601200/– व्यय किये गये, जबकि 7700/– रूपये के अनुसार उक्त प्रोडक्ट 308000/– रूपये में उपलब्ध थे। इस प्रकार तत्कालीन सभापति/आयुक्त द्वारा नगर परिषद बून्दी द्वारा 40 Dustbin के लिये 293200/–रूपये का अधिक भुगतान किया जाकर आर्थिक हानि पहुचाई गई है। पत्रावली में पोर्टल पर सामग्री की मांग अपलोड करने की सूचना उपलब्ध नही है, एक ही विक्रयकर्ता के अलावा तुलनात्मक दर विवरण नोटसीट पर नही है तथा पोटर्ल पर अपलोड किये गये दस्तावेज पर उपापन समिति के हस्ताक्षर नही है। इस प्रकार सभापति/आयुक्त द्वारा जानबुझ कर राजस्व नुकसान कारित करने के आशय से निम्न दर को अनदेखा कर उच्च दर पर कचरा पात्र क्रय किये गये। सभापति द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 48 (ग) के अनुसार नगर पालिका के वित्तिय एवं कार्यपालक प्रशासक पर निगरानी रखने के अपने दायत्वों का निर्वहन नहीं किया गया है। आयुक्त की वित्तीय शक्तियो 2 लाख रूपये तक की है। पत्रावली के पैरा सख्या 9 में 301200/– की वित्तीय स्वीकृति हेतु की गई टिप्पणी पर पेरा संख्या 11 में आयुक्त द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, जो उनकी वित्तिय शक्तियों की क्षमता से परे है। इसके लिये श्री महावीर मोदी तत्कालीन सभापति, श्री अरूणेश शर्मा सहायक अभियन्ता अतिरिक्त चार्ज आयुक्त नगर परिषद दोषी है। श्री अरूणेश शर्मा सहायक अभियन्ता के पास तत्समय आयुक्त का अतिरिक्त चार्ज था तथा उपापन समिति में भी श्री अरूणेश शर्मा सहायक अभियन्ता था। ऐसी में उपापन समिति में श्री अरूणेश शर्मा सहायक अभियन्ता द्वारा उपापन समिति के निर्णय को प्रभावित करने में सक्षम था, जिसके कारण उपापन समिति द्वारा पेश रिपोर्ट की निष्पक्षता सदिंग्ध है। कचरा पात्र क्रय करने में श्री महावीर मोदी तत्कालीन सभापति, श्री अरूणेश शर्मा सहायक अभियन्ता अतिरिक्त चार्ज आयुक्त के अलावा उपापन समिति सदस्य श्री विनोद कुमार शर्मा, कनिष्ठ सहायक अति. चार्ज कनिष्ठ लेखाकार, श्री अरूणेश शर्मा सहायक अभियन्ता एवं अतिरिक्त प्रभार आयुक्त नगर परिषद बूंदी, जोधराज मीणा कनिष्ठ अभियन्ता व नोटसीट संधारणकर्ता श्री जितेन्द्र फायरमैन (लिपिक) भी दोषी है।

नगर परिषद बूंदी में घर–घर कचरा संग्रहण कार्य हेतु 30 लाख रूपये वार्षिक व अवधि 3 वर्ष हेतु जारी निविदा के लिए कोई प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अनुमोदित नहीं है, केवल आयुक्त द्वारा अल्पकालिक निविदा हेतु आदेशार्थ की टिप्पणी पर सभापति द्वारा अनुमोदन किया गया तथा NIT पर भी अनुमोदन किया गया है। निविदा में प्रकाशित कार्यावधि 3 वर्ष होने के आधार पर कार्य की लागत 90 लाख रू होनी चाहिये। नोटशीट के साथ कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा किसी प्रकार का कोई प्राकलन/तकनीकी अनुमान संलग्न नहीं है। सहायक अभियन्ता द्वारा बिना तकनीकी परीक्षण के अग्रेषित करने के साथ ही आयुक्त द्वारा भी इस टिप्पणी को बिना किसी परीक्षण के अग्रेषित करने के साथ ही आयुक्त द्वारा भी इस टिप्पणी को बिना किसी परीक्षण के अग्रेषित कर दिया गया। इस प्रकार बिना किसी एस्टीमेट (आंकलन) के राशि का अनुमान एवं बिना सक्षम वित्तीय स्वीकृति के अल्पकालिक निविदा का अनुमोदन कर सभापति द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 48(ग) के अनुसार नगर पालिका की वित्तीय एवं कार्यपालक प्रशासक प्रशासक पर निगरानी रखने के अपने दायित्वों का निर्वहन नही किया गया। सभापति को 50 लाख रूपये से अधिक की राशि होने पर Council (मण्डल) से वित्तीय स्वीकृति ली जानी चाहिये थी, जो कि नही ली गई। घर–घर कचरा संग्रहण कार्य हेतु सभापति द्वारा 50 लाख रूपये से अधिक की राशि होने पर वित्तीय स्वीकृति नही लेकर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर 30 लाख रूपये वार्षिक व अवधि 3 वर्ष हेतु जारी निविदा के लिए कार्य की लागत 90 लाख रू से अधिक बजट खर्च करके अपने पद का दुरूपयोग किया गया है। कार्यादेश में सभापति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नही करते हुये नियमों से परे जाकर परिषद को हानि कारित करने के आशय से अपने पद का दुरूपयोग किया गया है।

घर–घर कचरा संग्रहण कार्य हेतु पुनः निविदा सं. 4786 दिनांक 03.10.2017 में बिना किसी तकनीकी अनुमोदन के कार्य की अनुमानित लागत 30 लाख रूपये के स्थान पर 42 लाख रूपये व अवधि 03 वर्ष की गयी। इस प्रकार कार्य की मूल आमंत्रित लागत 116667/– रूपये प्रतिमाह होती है। जी–शेडयूल में प्रतिमाह की दर आमंत्रित की गयी एवं प्राप्त दर 4,30,000/–रूपये में नेगोसिएशन के पश्चात 416600 /–रूपये प्रति माह (10 ऑटो टीपर) कार्यादेश जारी कर दिया गया। इस प्रकार कार्यालय टिप्पणियों में अनुमानित मासिक लागत (116667/–रूपये) की तुलना में 357 प्रतिशत (416600/–रूपये) अत्यधिक ऊची दर के लिये कोई औचित्य स्पष्ट नही किया गया। अतः बिना किसी औचित्य/जस्टिफिकेशन/दर विश्लेषण के अधिक दरों पर कार्यादेश दिया गया है। उक्त कार्यादेश में नगर परिषद अधिकारियों द्वारा फर्म विशेष को लाभान्वित करते हुये राजस्व हानि कारित की है। इसी क्रम में पूर्व निविदा 3944 दिनांक 28.07.2017 की निविदा शर्तो में परिर्वतन कर संवेदकों को 3 वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट के स्थान पर 5 वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट एवं वार्षिक टर्न ओवर 15 लाख रूपये के स्थान पर 16 लाख रूपये कर दिया गया। इस प्रकार बिना किसी तकनीकी अनुमान के राशि में वृद्वि एवं शर्तो में परिर्वतन के लिये समुचित प्रक्रिया नही अपनाई गई है। उक्त कार्य के लिये सभापति द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये फर्म विशेष को लाभान्वित करने के लिये निविदा शर्तो में परिवर्तन करते हुये बजट में 13 लाख रूपये की अनावश्यक बढोतरी करके नगर परिषद को हानि कारित की है। चूंकि पुनः निविदा में, प्रथम निविदा में भाग लेने वाले संवेदकों द्वारा निविदा प्रस्तुत नही की गयी। पूर्व में निविदा के प्रतिभागीयों को निविदा में भाग लेने से वंचित रखने के लिए शर्तो में परिर्वतन किया गया तथा बिना किसी तकनीकी अनुमान के राशि में वृद्वि एवं शर्तो में परिर्वतन के लिये समुचित प्रक्रिया नही अपनाई गई है। घर–घर कचरा संग्रहण कार्य हेतु स्वीकृत दर 416600/–रूपये एवं कार्यावधि 3 वर्ष के अनुसार गणना किये जाने पर लागत 1,49,97600/–रूपये प्राप्त होती है एवं उक्त कार्य हेतु निविदत राशि 42 लाख रूपये के विरूद्व 11852371/–रूपये के बिल प्रमाणित कर भुगतान किये गये है। जो कि सभापति की वित्तीय शक्तियों (50 लाख रूपये) से अधिक होने के कारण सभापति की सक्षम शक्तियों के अन्तर्गत नही थी। घर–घर कचरा संग्रहण कार्य हेतु पत्रावली के पैरा सं. 1 में 30 लाख रू की स्वीकृति के बाद पैरा सं. 45 में 30 लाख रू की अतिरिक्त स्वीकृति (कुल स्वीकृति 60 रू) प्राप्त की गई, जबकि राजस्थान नगरपालिका (सामग्री का क्रय और संविदा) नियम, 1974 के नियम 14 (2) के अनुसार मूल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में किसी भी दशा में कोई वृद्वि नही की जायेगी। यदि किसी अनुमान में सुभिन्न रूप से दो या अधिक भिन्न–भिन्न उप–शीर्ष हों तो प्रत्येक उप–शीर्ष में अपनी स्वंय की रकम के 10 प्रतिशत वृद्वि या कमी का अन्तर नहीं होना चाहिए अपितु यह कुल मिलाकर कार्य के प्रशासनिक अनुमोदन से अधिक नहीं होना। संबंधित नगरीय स्थानीय निकाय में मुख्य कार्यकारी/आयुक्त/कार्यपालक अधिकारी और मेयर/सभापति/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जाना होगा। श्री महावीर मोदी तत्कालीन सभापति के द्वारा पद के दुरूपयोग को प्रदर्शित करता है।

घर–घर कचरा संग्रहण कार्य हेतु कार्यादेश क्रमांक 5334 दिनांक 01.11.2017 द्वारा संवेदक को 02.11.2017 से कार्य करने के लिये आदेशित करते समय 10 ऑटोटीपर नगर परिषद बून्दी द्वारा देने के 3 दिन बाद ही 10 और ऑटो टीपर संवेदक को सम्भलाने हेतु पैरा सं. 34 में 05.11.2017 की टिप्पणी है एवं आनुपातिक आधार पर भुगतान किये जाने की टिप्पणी है। इससे प्रतीत होता है कि नगर परिषद बून्दी के पास निविदा के समय अति निकटस्थ भविष्य में अतिरिक्त टीपर उपलब्ध होने की जानकारी उपलब्ध थी तो भी कार्य की लागत 10 टीपरो के लिये 42 लाख की निविदा किया जाना, जानबूझकर निविदा राशि को 50 लाख तक की सभापति की वित्तीय सक्षमता में रखने का प्रयास किया गया, इस प्रकार जानबुझ कर तथ्य छुपाये गये। उपरोक्त घर–घर कचरा संग्रहण कार्य के सम्बंध में प्राकलन/तकनीकी अनुमान नही करके वित्तीय शक्तियों से बाहर जाकर कार्यादेश जारी करने, कार्यादेश राशि में नियम विरूद्ध वृद्धि करना, उच्च दर पर कार्यादेश जारी कर राजस्व हानि कारित की है। इससे स्पष्ट है कि नगर परिषद बून्दी के पास निविदा के समय अति निकटस्थ भविष्य में अतिरिक्त टीपर उपलब्ध होने की जानकारी उपलब्ध थी तो भी कार्य की लागत 10 टीपरो के लिये 42 लाख की निविदा किया जाना, जानबूझकर निविदा राशि को 50 लाख तक की सभापति की वित्तीय सक्षमता में रखने का प्रयास किया गया, इस प्रकार जानबुझ कर तथ्य छुपाये गये। उपरोक्त कार्य के सम्बंध में प्राकलन/तकनीकी अनुमान नही करके वित्तीय शक्तियों से बाहर जाकर कार्यादेश जारी करने,

कार्यादेश राशि में नियम विरूद्ध वृद्धि करना, उच्च दर पर कार्यादेश जारी कर फर्म विशेष को लाभान्वित किया गया है। इस सम्बंध में श्री महावीर मोदी तत्कालीन सभापति, श्री दीपक नागर तत्कालीन आयुक्त, श्री पंकज मंगल तत्कालीन आयुक्त, श्री अरूणेश शर्मा सहायक अभियन्ता अतिरिक्त प्रभार आयुक्त, श्री जोधराज मीणा कनिष्ठ अभियन्ता, नोटसीट संधारण कर्ता श्री जितेन्द्र फायरमैन लिपिक दोषी है।

घर–घर कचरा संग्रहण कार्य हेतु अनुबन्ध की शर्त सं. 10 के अनुसार ठेकेदार द्वारा नगर परिषद बून्दी द्वारा बताये गये ट्रेंचिग ग्राउण्ड के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कचरा डालने की अवस्था में संवेदक को कोई भी राशि का भुगतान नही किया जाकर नियमानुसार पेनल्टी वसूल की जानी चाहिए थी। कचरा परिवहन करने वाले संवेदक ए एण्ड जी एन्टरप्राईजेज द्वारा कुम्भा स्टेडियम में कचरा डाला गया। नगर परिषद बूंदी द्वारा भी "सूखा कचरा यहा डाला जाता है" और "गीला कचरा यहां डाला जाता है।" के सूचना पट्ट लगे होने के साक्ष्य यह सिद्ध करते है कि अनुबन्ध की शर्ते सं. 10 का उल्लंघन करते हुए संवेदक द्वारा कचरा कुम्भा स्टेडियम में डाला गया। ऐसी स्थिति में अनुबन्ध की शर्ते 10 के अनुसार संस्था को कचरा परिवहन (कुम्भा स्टेडियम में) के लिये भुगतान नहीं किया गया जाना था एवं पेनल्टी वसूल करनी थी। लेकिन इसके विपरीत संवेदक से पेनल्टी नही वसूल नहीं किये जाने, अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन कर कार्य करवाये जाने तथा भुगतान किये जाने का कार्य किया गया। कुम्भा स्टेडियम के कचरा परिवहन कार्य हेतु E-procurement system Govt. of rajasthan की वित्तीय बिड शीट (स्टेटमेंट) के अनुसार मैं0 ए एण्ड जी एन्टरप्राईजेज बून्दी की न्यूनतम दर @16% Below के अनुसार 1429974/–रू का ही कार्य आदेश दिया जाना चाहिए था, जबकि 1702000 /–रू का कार्य आदेश दिया गया। कुम्भा स्टेडियम से कचरा परिवहन कार्य की पत्रावली के पैरा सं. 19 के अनुसार कार्य के पेटे 1713569/– रू का भुगतान किया गया एवं कुल 161777.34 घनमीटर मलवा/कचरा का परिवहन दर्शाया गया है। माप पुस्तिका नं. 12 के पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार 13500 घनमीटर के स्थान पर 16177.34 घनमीटर अर्थात 2677.34 घनमीटर (19.83 प्रतिशत अधिक) अतिरिक्त परिवहन करवाये जाने का कोई ठोस कारण/आधार पत्रावली पर उपलब्ध नही है। कुम्भा स्टेडियम में कचरे का आंकलन लम्बाई चौडाई उंचाई आदि को विस्तृत उल्लेख करके नही किया है, जो कचरे की मात्रा को सदिंग्ध बनाता है। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी एसओपी दिनांक 08.01.2015 के बिन्दू संख्या 13 के अनुसार 10 प्रतिशत से अधिक मात्रा में विचलन होने के कारण राज्य सरकार से उक्त प्रकरण में संशोधित स्वीकृति प्राप्त की जानी थी, जो नही की गई है। इस प्रकार नियम विरूद्ध तरिके से कुम्भा स्टेडियम में संवेदक द्वारा कचरा डाला गया जिसकी एवज में संवेदक को भुगतान भी किया गया तथा कचरा डालने के परिणामस्वरूप कुम्भा स्टेडियम से कचरा हटवाने के लिये कार्यादेश जारी कर कचरा हटवाया गया, जिस पर अनावश्यक राजकीय राशि का व्यय हुआ। उपरोक्त के सन्दर्भ में सभापति एवं नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा मिलीभगत करके संवेदकों को लाभान्वित किया है तथा राजकोषीय नुकसान कारित करना पाया गया है। उक्त कृत्य के लिये श्री महावीर मोदी तत्कालीन सभापति, श्री पंकज मंगल तत्कालीन आयुक्त, श्री अरूणेश शर्मा सहायक अभियन्ता, श्री जोधराज मीणा कनिष्ठ अभियन्ता, नोटसीट संधारणकर्ता श्री मुकेश परमार लिपिक दोषी है।

नगर परिषद बूंदी द्वारा शौचालय एवं पैशाबघर का रख रखाव कार्य हेतु कार्यादेश क्रमांक 84 दिनांक 06.04.2016 जनसुलभ सामाजिक सेवा संस्थान सवाईमाधोपुर को जारी किया गया। कार्यादेश के उपरान्त 9 माह में 10 लाख रूपये के विरूद्व 1224345/–रूपये का भुगतान दिनांक 06.01.2017 तक 20 लाख रूपये की स्वीकृति के विरूद्व 2777563/–रूपये व्यय कर दिया गया तथा पेरा सं. 55 पर आप द्वारा पुनः 30 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई। इस प्रकार अब तक मूल निविदा अनुमान 10 लाख के विरूद्व 50 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई एवं इसके विरूद्व भी 6055667 /–रू का भुगतान कर दिया गया। श्री महावीर मोदी तत्कालीन सभापति द्वारा वित्तीय शक्तियों का हनन करते हुए अपनी वित्तीय क्षमताओं से परे जाकर 10 लाख रूपये के विरूद्व 50 लाख रू (अर्थात 400 प्रतिशत अनाधिकृत) स्वीकृति जारी कर दी गई एवं बिना बजट एवं सक्षम स्वीकृति के 5055667/–रू का अतिरिक्त एवं अनाधिकृत नियम 14 (2) के अनुसार मूल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में किसी भी दशा में कोई वृद्वि नही की जानी चाहिऐं थी। यदि किसी अनुमान में सुभिन्न रूप से दो या अधिक भिन्न–भिन्न उप–शीर्ष हों तो प्रत्येक उप–शीर्ष में अपनी स्वयं की रकम के 10 प्रतिशत वृद्वि या कमी का

अन्तर नहीं होना चाहिए अपितु यह कुल मिलाकर कार्य के प्रशासनिक अनुमोदन से अधिक नहीं होना। परिषद प्रशासन द्वारा फर्म विशेष को लाभान्वित करने के कृत्य के लिये श्री महावीर मोदी तत्कालीन सभापति, श्री पंकज मंगल तत्कालीन आयुक्त, श्री दीपक नागर तत्कालीन आयुक्त, श्री अरूणेश शर्मा सहायक अभियन्ता, श्री जोधराज मीणा कनिष्ठ अभियन्ता, श्री मुकेश परमार लिपिक दोषी है।

इस प्रकार श्री महावीर मोदी तत्कालीन सभापति नगर परिषद बूंदी द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान नगर परिषद बूंदी में विकास कार्यो के बजट में अपने अधिकारी क्षेत्र से बाहर जाकर वित्तीय स्वीकृति जारी की गई एवं भुगतान किया गया। नगर परिषद बूंदी से जारी विभिन्न कार्यादेशों में बिना आंकलन, बिना सत्यापन के कार्यादेश जारी किये गये तथा कार्यादेश जारी करने में पारदर्शिता का अभाव रखकर फर्मो की तुलनात्मक दरों की समीक्षा नही करके उच्च दरों पर भी कार्यादेश जारी किये गये। श्री महावीर मोदी तत्कालीन सभापति नगर परिषद बूंदी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में आरोपों के सम्बंध में कोई संतोषप्रद जवाब नही दिया है। उपरोक्तानुसार विवेचना से श्री महावीर मोदी तत्कालीन सभापति नगर परिषद बूंदी द्वारा अपने पद के प्रभाव का दुरूपयोग करते हुये श्री दीपक नागर तत्कालीन आयुक्त, श्री पंकज मंगल तत्कालीन आयुक्त, श्री अरूणेश शर्मा सहायक अभियन्ता अतिरिक्त प्रभार आयुक्त, श्री जोधराज मीणा कनिष्ठ अभियन्ता, श्री विनोद कुमार शर्मा, कनिष्ठ सहायक अति. चार्ज कनिष्ठ लेखाकार, श्री प्रेमशंकर शर्मा अधीक्षण अभियन्ता, बृजमोहन सिंघल अधिशाषी अभियन्ता एवं नगर परिषद में कार्यरत श्री मुकेश परमार लिपिक, श्री जितेन्द्र फायरमैन लिपिक एवं अन्य नगर परिषद कार्मिकों से मिलीभगत करके अपने पद का दुरूपयोग करते हुये संवेदको को लाभान्वित करते हुये राजस्व हानि कारित की है।

अतः प्राथमिक जांच से आरोपीगण 1. श्री महावीर मोदी तत्कालीन सभापति नगर परिषद बूंदी, 2. श्री दीपक नागर तत्कालीन आयुक्त नगर परिषद बून्दी हाल अधिशाषी अधिकारी चतुर्थ, मुख्यालय स्वायत्त शासन विभाग जयपुर 3. श्री पंकज मंगल तत्कालीन आयुक्त, नगर परिषद बून्दी हाल राजस्व अधिकारी द्वितीय, मुख्यालय स्वायत्त शासन विभाग जयपुर 4. श्री अरूणेश शर्मा तत्कालीन सहायक अभियन्ता अतिरिक्त प्रभार आयुक्त नगर परिषद बून्दी, हाल अधिशाषी अभियन्ता नगर परिषद बून्दी 5. श्री जोधराज मीणा तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता नगर परिषद बून्दी हाल कनिष्ठ अभियन्ता नगर विकास न्यास कोटा 6. श्री विनोद कुमार शर्मा, कनिष्ठ सहायक अति. चार्ज कनिष्ठ लेखाकार, नगर परिषद बून्दी 7. श्री प्रेमशंकर शर्मा तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता नगर निगम कोटा हाल अधीक्षण अभियन्ता नगर निगम कोटा उत्तर 8. बृजमोहन सिंघल तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता, नगर परिषद बून्दी हाल अधिशाषी अभियन्ता नगर परिषद धोलपुर 9. श्री मुकेश परमार तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक नगर परिषद बून्दी हाल नगर पालिका केशवरायपाटन जिला बून्दी 10. श्री जितेन्द्र फायरमैन लिपिक नगर परिषद बूंदी एवं नगर परिषद बून्दी के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण तथा लाभान्वित संवेदकगण के विरूद्ध जुर्म धारा 13(1)(डी),13(2) पी.सी. एक्ट 1988 व धारा 120बी. भादसं का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। आरोपीगण के विरूद्ध जुर्म धारा 13(1)(डी),13(2) पी.सी. एक्ट 1988 व धारा 120बी. भादसं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रनिब्यूरो, राज. जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

(सीराचन्द)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
बून्दी

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ताराचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जिला बून्दी ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(डी),13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 120बी भा.दं.सं. में आरोपीगण 1. श्री महावीर मोदी, तत्कालीन सभापति, 2. श्री दीपक नागर, तत्कालीन आयुक्त, 3. श्री पंकज मंगल, तत्कालीन आयुक्त, 4. श्री अरूणेश शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता, अति. प्रभार आयुक्त, 5. श्री जोधराज मीणा, तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता, 6. श्री विनोद कुमार शर्मा, कनिष्ठ सहायक, अति.चार्ज कनिष्ठ लेखाकार, नगर परिषद, बून्दी, 7. श्री प्रेमशंकर शर्मा, अधीक्षण अभियंता, 8. श्री बृजमोहन सिंघल, अधिशाषी अभियंता, 9. श्री मुकेश परमार, कनिष्ठ लिपिक, नगर परिषद बून्दी, हाल नगर पालिका के.पाटन, जिला बून्दी 10. श्री जितेन्द्र मीणा, फोरमैन (लिपिकीय कार्य) नगर परिषद बून्दी एवं सम्बंधित फर्मो के संवेदकगण एवं नगर परिषद् बून्दी के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 338/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

30.8.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 2950-58 दिनांकः- 30.8.2022

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. निदेशक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. आयुक्त, नगर परिषद् बून्दी।
6. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
8. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी।
9. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परि., भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर(पीई 03/22)

30.8.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।